# 'स्पिट जिहाद' के लिये उत्तराखंड सरकार के दिशानिर्देश

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने त्यौहारी सीज़न के दौरान **खाद्य सुरक्षा** को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करते हुए थूकने (Spit) से होने वाली **खाद्य संदूषण की घटनाओं** पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

## मुख्य बिंदु

- **सख्त जुर्माने का प्रावधान:** थूकने (Spit) या इसी तरह के अन्य अपराध करके भोजन को दूषित करने वाले अपराधियों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
  - ये दिशानिर्देश हाल ही में वायरल हुई घटनाओं के बाद जारी किये गए हैं, जिनमें **मसूरी और देहरादून** के वीडियो भी शामिल हैं, जहाँ लोग खाद्य पदार्थों में थूकते (Spit) हुए पकड़े गए थे, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया था।
- **पुलिस सत्यापन और CCTV:** होटलों और भोजनालयों को अब अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है, तथा रसोईघरों में **CCTV कैमरे लगाना भी अनिवार्य** कर दिया गया है।
  - अधिकारी खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के बारे में जनता और व्यवसायों को शिक्षित करने के लिये जागरूकता अभियान चलाएंगे।
- **स्वास्थ्य विभाग की भागीदारी: स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग** सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भोजनालयों में आकस्मिक निरीक्षण और जाँच में पुलिस की सहायता करेंगे।
- **विधिक कार्यवाही:** अपराधियों पर विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं, जिनमें **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** और **उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007** के तहत सार्वजनिक उपद्रव एवं खाद्य मिलावट से संबंधित धाराएँ शामिल हैं।
- **धार्मिक संवेदनशीलता के प्रति शून्य सहनशीलता:** यदि कृत्य धर्म या सामुदायिक सद्भाव को प्रभावित करता है, तो **BNS धारा 196 (शत्रुता को बढ़ावा देना)** के तहत अतिरिक्त आरोप लगाए जा सकते हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-government-s-guidelines-for-spit-jihad